Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2019: 6.251, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, JUNE-JULY, 2020, VOL- 8/40

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों का अध्ययन

नगनारायण उपाध्याय[1] & प्रो. सुनीता गोदियाल[2]

[1]*पी–एच. डी.– शोधार्थी*

शिक्षा विभाग , हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), एस. आर. टी. परिसर, बादशाहीथौल

टिहरी–गढ़वाल, उत्तराखंड ई–मेलः nagnarayan.md@gmail-com

[2]*शिक्षा विभाग , हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय),एस. आर. टी. परिसर, बादशाहीथौल*

टिहरी–गढ़वाल, उत्तराखंड

Abstract

भारत के सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा व्यापक समावेशन का माँग करती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अभिवंचितों, दलितों एवं भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं जेंडर विषमताओं की खाई को पाटते हुए विशिष्ट आव यकता वाले बालक–बालिकाओं को सामान्य विद्यालय की कक्षा में समावेशित कर शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने से है। जिसमें विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे यथासंभव शिक्षा को समावेशी बनाने का प्रयास करें। असमर्थ बालक–बालिकाओं का सामान्य छात्रों के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होता है और उन्हें संस्कृति, समाज एवं देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस शिक्षा व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि इससे सामाजिक समानता के साथ–साथ हर बालक–बालिकाओं को उसकी अपनी क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों का सर्वंगीण विकास ही शिक्षक–शिक्षिकाओं की व्यावसायिक सफलता का मापदंड है (वर्मा, 2014)। सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था का समाज के सभी वर्गों के लिए सर्वसुलभ एवं समान होना जरुरी होता है। शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समावेशी शिक्षा न सिर्फ लक्ष्य है, बल्कि यह समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी एक अनिवार्य कदम है, जिससे हर नागरिक को सपनें सजोने, विकास करने और राष्ट्र–हित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हो सकें। हमारे देश में दुर्भाग्य से, आजादी के 7 दशक बाद भी लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक और विशेष आवश्यकता जैसे– कारकों के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने की क्षमता प्रभावित हयी है, व जिससे सामाजिक दरारें बढ़ी हे तथा राष्ट्र के विकास एवं प्रगति भी बाधित हुआ है। अतः प्रस्तुत आलेख में समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित लक्ष्यों एवं प्रावधानों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख शब्दावली– *समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

प्रस्तावना

समावेशी–शिक्षा भारत की शैक्षिक शब्दावली में अभी कुछ ही समय से जुड़ी है। शैक्षिक जगत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट होने से पहले भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा–दीक्षा शिक्षकों द्वारा विशेष विद्यालय में विशेष गतिविधियों और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से दी जाती रही है। शिक्षण की ऐसी प्रणाली विशेष शिक्षा कहलाती है। कालांतर में बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा प्रणाली आयी। इस शिक्षा प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी में सामान्य बच्चों के साथ एक जैसी शिक्षा पद्धति एवं परिस्थितियों में पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वहीं समावेशी शिक्षा में विशेष एवं सामान्य शिक्षा की एक समेकित पद्धति है। यह विद्यालय व्यवस्था में एक मूलभूत सुधार की कल्पना है जिससे पाठ्यचर्या अनुकूलन, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और यहाँ तक कि विद्यार्थियों समूहों का निर्माण और बाधा–रहित विद्यालयी वातावरण का निर्माण हो सकें।

शिक्षा सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिससे हर नागरिक को सपनें सजोने, विकास करने और राष्ट्र–हित में योगदान देने के अवसर उपलब्ध हो। दुर्भाग्य से, देश के आजादी के 7 दशक बाद भी लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक और विशेष आवश्यकता जैसे– कारकों के आधार पर होने वाले पूर्वाग्रह और पक्षपात के कारण लोगों की शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक दरारें बढ़ती है तथा राष्ट्र के विकास एवं प्रगति को बाधित करते हैं (NEP-2020)।

समावेशी शिक्षा– समावेशी शिक्षा, शिक्षा की ऐसी प्रणाली है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ मुख्यधारा के विद्यालयों में पठन–पाठन करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है, जिससे समाज की मुख्यधारा में सम्मलित होते है। इसके अंतर्गत पठन–पाठन के अलावा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए बांधारहित विद्यालयी वातावरण का निर्माण कार्य भी शामिल है, साथ ही समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों एवं महिलाओं को सामान्य विद्यालयों में पठन–पाठन के लिए सम्मलित करना है।

भारत के सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा व्यापक समावेशन का माँग करती है, जहाँ समाज के सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अभिवंचितों, दलितों एवं भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं जेंडर विषमताओं की खाई को पाटते हुए विशिष्ट बालक–बालिकाओं को सामान्य विद्यालय की कक्षा में समावेशित कर शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने से है। इसमें विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि यथासंभव शिक्षा का समावेशी बनाने का प्रयास करें द्य असमर्थ बालक–बालिकाओं के साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से उनके

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

आत्मनिर्भरता का विकास होता है और उन्हें संस्कृति, समाज एवं देश की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। इस शिक्षा व्यवस्था से सामाजिक समानता के साथ–साथ हर बालक–बालिकाओं को उसकी अपनी क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों का सर्वंगीण विकास ही शिक्षक–शिक्षिकाओं की व्यावसायिक सफलता का मापदंड है (वर्मा, अक्टूबर 2014)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020–

राष्ट्रोय शिक्षा नीति 2020 को समय की मांग के अनुरूप एक प्रासंगिक एवं प्रभावकारी नीति के रूप में लाया गया है। इस नीति में प्रथम भाग के अध्याय छः में शीर्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा है। इसमें विभिन्न अल्प प्रतिनिधित्व समूहों के समुदायों के लिए समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के लिए कई प्रावधान किया गया हैं। इसमें समावेशी शिक्षा की चार आयामो में बाँट कर देखा जा सकता है–

- विशेष लैंगिक पहचान– जिसमें महिलाएं ओर ट्रांसजेंडर शामिल है।
- सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान– जैसे– अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), मुस्लिम और प्रवासी समुदाय।
- विशेष आवश्यक वाले जिन्हें– सीखने में विशेष चुनौतियां पेश आती है।
- विशेष सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों जैसे– शहरी गरीब लोग।

लड़कियों की शिक्षा– इस नीति में लड़कियों की शिक्षा के लिए, उसमें भी अल्प प्रतिनिधित्व समूहों के लड़कियों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया है जैसे–

1. बालिका शिक्षा के लिए राज्यों एवं सामुदायिक संगठनों के बीच साझेदारी करना।
2. शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना।
3. विद्यालय सुरक्षा को प्राथमिकता देना।
4. विद्यालय अनुपस्थिति को बढ़ाने वाली सामाजिक प्रथाओं और जेंडर सम्बन्धी रूढ़ियों हेतु कदम उठाना।
5. विद्यालय में जेंडर सम्बन्धी संवेदनशीलता।

ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा– इस नीति में ट्रांसजेंडर की बच्चा को विद्यालय शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा सिविल सोसाइटी समूहों के मदद से इनको मुख्यधारा में सम्मलित करने का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदायों एवं अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बद्ध बच्चों की शिक्षा–

ऐतिहासिक और भाषाई कारणों से SC ST एवं OBC समुदाय के बच्चें कई स्तरों पर गंभीर समस्या का सामना करते है। इनके समस्यों को दूर करने के लिए कुछ प्रावधान किया गया है जैसे–

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

1. SC एवं OBC के समुदायों से शिक्षकों की भर्ती।
2. अनुवादित शिक्षण सामग्री।
3. आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए सार्थक एवं समुदाय समन्वक करने वाली शिक्षा व्यवस्था।

अल्पसंख्यक समुदायों के अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बच्चों की शिक्षा–

इस नीति में मुस्लिम एवं अन्य शैक्षिक रूप से अल्प–प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यकों को विद्यालयी शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आपूर्ति पक्षीय (Supply-side) हस्तक्षेप करने पर जोर देता है । मदरसें, मकतब और अन्य परंपरागत एवं धार्मिक विद्यालयों का सशक्तिकरण और पाठ्यचर्या का आधुनिकीकरण करने की बात करता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा–

इस नीति में विशेष आवश्यता वाले बच्चों शिक्षा के लिए कई प्रावधान किया गया है। जिससे इन बच्चों को मुख्याधारा में लाया जा सकें। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधानों पर बल दिया गया है जो निम्नलिखित हैं–

1. सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चा का समावेश करना।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए आर्थिक सहयोग करना।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालयों में पहुँच।
4. घर में ही शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान।
5. श्रवण–बाधित बच्चों के लिए मुक्त विद्यालय की उपलब्धता
6. क्रास–डिसेबिलिटी (cross-disability) प्रशिक्षण प्राप्त विशेष शिक्षक और चिकित्सक की व्यवस्था।
7. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति।

शहरी निर्धन परिवारों के बच्चों की शिक्षा– इस नीति में शहरी निर्धन परिवार के विद्यार्थियों के लिए भी प्रयास करने की बात है–

1. शैक्षिक पहुँच को लेकर केन्द्रीय प्रयास।
2. सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सलाहकारों की भूमिका।
3. शहरी निर्धन लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या निर्माण करना।

इस प्रकार से इस नीति में सभी अल्प–प्रतिनिधित्व समूहों के विद्यार्थियों के लिए कई प्रावधान किये गये है।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

निष्कर्ष–

इस राष्ट्रोय शिक्षा नीति 2020 में सभी अल्प–प्रतिनिधित्व समूहों को शैक्षिक समावेशन करने के लिए कई विशेष प्रावधान किये गये हैं परन्तु इन प्रविधानों के साथ ही सामान्य विद्यालयों को संसाधन संपन्न, शिक्षकों की उपलब्धता एवं सकारात्मक वातावरण बनाने की जरुरत है। जिससे कि सामान्य विद्यालय में ही इन सभी समुदायों के बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए एक ही स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था कि जा सके। इसके अर्न्तगत सिर्फ गंभीर एवं गहन दिव्यांग बच्चों के लिये ही अलग से शिक्षा की व्यवस्था कि जानी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चें बड़े होकर एक समावेशी और समतामूलक समाज के अंग बनेगें और परिणामस्वरूप राष्ट्र में शांति, समरसता और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

बी. (अप्रैल, 2014). समावेशी शिक्षा के लिए व्यवसायियों का विकास. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 34(4), 22–35.

एम.एच.आर.डी. (2019). प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019. नई दिल्ली.

एम.एच.आर.डी. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली.

वर्मा, ए. के. (अक्टुबर, 2014). समावेशी शिक्षा. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 35(2), 24–29.

उपाध्याय, एन. एन. (2014). माध्यमिक स्तर के शिक्षक/शिक्षिकाओं का समावेशी शिक्षा के प्रति दृ ष्टिकोण का अध्ययन (एम.एड. लघु शोध प्रबंध, एच. एन. ब. जी. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर).

कुमारी, एस. (जुलाई, 2015). अध्यापकों की भाषायी निष्ठुरता और समावेशी शिक्षा. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 36(1), 39–46.

Kurniawati, F. ; Minaert, A. ; Mangunsong, F. & Ahmed, W. (2012). Empirical study on primary school teachers attitude towards inclusive education in Jakarta, Indonesia. Procedia- social and behavioural science 69, 1430-1436.

Unianu, E. M. (2012). Teachers Attitudes Towards inclusive education- Procedia Social and Behavioral Science.

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language